

सं. संख्या- टी 3/ योजना-36/2008 - 863

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना।

प्रेषक,

उप सचिव,

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

/पटना, दिनांक-15.05.2021

विषय- प्रशिक्षण पुर्नप्रशिक्षण राज्य स्कीम का वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अवधि विस्तार एवं रू०- 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार निदेशालय/क्षेत्रीय कार्यालय/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला एवं एल0डब्लू0ई0 सहित) में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण प्राप्त करने के निमित्त वित्तीय वर्ष 2026-2027 में प्रशिक्षण पुर्नप्रशिक्षण राज्य स्कीम का अवधि विस्तार एवं कार्यालय व्यय (13.01) मद में उपबंधित राशि रू०-150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2026-2027 के उद्व्यय एवं बजट उपबंध में राशि उपलब्ध है।

3. इस अवधि विस्तार पर व्यय मांग संख्या-53, मुख्य शीर्ष 2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष-03 प्रशिक्षण, लघु शीर्ष-003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, उप शीर्ष-0132 प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण विपत्र कोड-53-2230-03-003-0132 के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राज्य स्कीम के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे। निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जिन्हें आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की जाएगी।

5. यह चालू योजना है।

6. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या-टी 3/योजना-36/2008 के पृष्ठ-175/टि० पर, विभागीय सचिव की संचिका संख्या टी 3/योजना-36/2008 के पृष्ठ-175/टि० पर एवं प्रारूप में संचिका संख्या टी 3/योजना-36/2008 के पृष्ठ-171/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभजन

S. Anand
15/5/21
(शंकर दयाल)

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल
विकास विभाग।

ज्ञापांक- टी 3/ योजना-36/2008 - 863

/पटना, दिनांक- 15.05.2026

प्रतिलिपि:- सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. K. Singh
14/5/26

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल
विकास विभाग।

ज्ञापांक- टी 3/ योजना-36/2008 863

/पटना, 15.05.2026

दिनांक-

प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के आप्त सचिव /सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/निदेशालय बजट शाखा/निदेशालय लेखा शाखा/निदेशालय मासिक व्यय शाखा/निदेशालय प्रशिक्षण शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. K. Singh
14/5/26

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल
विकास विभाग।

g